रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236982
CG-DL-E-01072022-236982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/आषाढ़ 10, 1944
No. 170]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

फा. सं. 14/1/2022 बीओ.I.—वित्तीय सेवा संस्थाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा संस्थाओं के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक और गैर ार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफ़ारिश करने के उद्देश्य से और इन संस्थाओं में कार्मिक प्रबंधन से संबन्धित कुछेक अन्य विषयों पर परामर्श देने के लिए एतदद्वारा वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो (एफएसआईबी) गठित करने का निर्णय लिया है। इसके कार्यों और संघटन, इसके सदस्यों के नामांकन, और इसके प्रबंधन, वित्त पोषण और कार्यप्रणाली से संबंधित नीति नीचे दी गई है।

2. **कार्य--** एफएसआईबी के कार्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्: -

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष (एनईसी) के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए (यहाँ क्रमशः "पीएसबी", "एफआई" और " पीएसआई" के रूप में संदर्भित);

(ख) उक्त निदेशकों की नियुक्तियों, स्थानांतरण या कार्यकाल के विस्तार और सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों पर सरकार को परामर्श देना;

(ग) पीएसबी, एफआई और पीएसआई के लिए बोर्ड स्तर पर वांछित प्रबंधन संरचना पर सरकार को परामर्श देना;

(घ) पीएसबी, एफआई और पीएसआई में डब्ल्यूटीडी और एनईसी के लिए उपयुक्त कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली पर सरकार को परामर्श देना;

(ङ) पीएसबी, एफआई और पीएसआई के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए डेटा बैंक का निर्माण करना;

(च) पीएसबी, एफआई और पीएसआई में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आचार संहिता और आधार-नीति तैयार करने और इसे लागू करने के संबंध में सरकार को परामर्श देना;

(छ) पीएसबी, एफआई और पीएसआई में प्रबंधन कार्मिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में सरकार को परामर्श देना;

(ज) व्यावसायिक रणनीतियों और पूंजी जुटाने की योजना आदि तैयार करने के मामले में पीएसबी, एफआई और पीएसआई की मदद करना;

(झ) इस तरह की प्रक्रिया को पूरा करना और किसी अन्य बैंक, वित्तीय संस्थान या बीमाकर्ता के लिए सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए एक पैनल तैयार करना, जिसके लिए सरकार उस बैंक, वित्तीय संस्थान या बीमाकर्ता से संबंधित विनियामक के परामर्श के बाद एक संदर्भ देती है।

3. एफएसआईबी का संघटन-- एफएसआईबी का संघटन इस प्रकार होगा, नामत:--

	(क)	एफएसआईबी का अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, जो बैंकिंग क्षेत्र या विनियामक संस्थान से एक सेवानिवृत्त अधिकारी होगा, या वित्तीय क्षेत्र के पर्याप्त ज्ञान के साथ प्रतिष्ठित व्यावसायिक व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जिसे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुभव के साथ लोक प्रशासन में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव हो;	अध्यक्ष (अंश-कालिक)
	(ख)	वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रभारी सचिव;	सदस्य (पदेन)
	(ग)	सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रभारी सचिव;	सदस्य (पदेन)
	(घ)	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अध्यक्ष, और यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो आईआरडीएआई के वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य;	सदस्य (पदेन)
	(ङ)	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक उप गवर्नर;	सदस्य (पदेन)
	(च)	पीएसबी और एफआई से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाले तीन व्यक्ति, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, इनमें से - (i) कम से कम दो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के भूतपूर्व-बैंकर होंगे; तथा (ii) कोई एक शिक्षाविद, या एक भूतपूर्व विनियामक, या व्यवसायी, या भूतपूर्व प्रशासक हो सकता है, और जिसे व्यवसाय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त या लेखा में अनुभव प्राप्त हो;	सदस्य (अंश-कालिक, गैर-सरकारी)
	(छ)	पीएसआई से संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले तीन व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाना है इनमें— (i) कम से कम दो सार्वजनिक क्षेत्र अथवा बीमा क्षेत्र के भूतपूर्व कार्मिक अथवा जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा, पुनर्बीमा अथवा बीमांकिक विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञ होंगे; और	सदस्य (अंश-कालिक, गैर-सरकारी)

	(ii) एक शिक्षाविद, अथवा भूतपूर्व विनियामक, अथवा कारोबारी, अथवा भूतपूर्व प्रशासक हो सकता है और जिसको कारोबार प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त अथवा लेखा परीक्षण में अनुभव हो।	

3.1 एफएसआईबी अपने संघटन में किसी रिक्ति पर ध्यान दिए बिना अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम होगा।

4. आरंभिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य— निम्नलिखित व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से,इस संकल्प की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक अथवा केंद्रीय सरकार के अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो एफएसआईबी के आरंभिक अध्यक्ष और आरंभिक अंशकालिक सदस्य होंगे, नामतः—

(क) श्री भानू प्रताप शर्मा (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के भूतपूर्व सचिव)	अध्यक्ष
(ख) श्री अनिमेष चौहान, (भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) (सार्वजनिक क्षेत्र श्रेणी से भूतपूर्व बैंकर)	सदस्य (पीएसबी और एफआई से संबंधित मामलों के संबंध में)
(ग) श्री शैलेन्द्र भंडारी, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएनजी वैश्य बैंक, सेंचूरियन बैंक ऑफ पंजाब और आईसीआईसीआई आस्ति प्रबंधन कंपनी) (निजी क्षेत्र श्रेणी से भूतपूर्व बैंकर)	सदस्य (पीएसबी और एफआई से संबंधित मामलों के संबंध में)
(घ) श्री दीपक सिंघल, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक, आर.बी.आई, कार्पोरेट कार्य नीति तथा बजट, कार्पोरेट सेवाएं तथा मानव संसाधान विभागों के प्रभारी) (शिक्षाविद, अथवा भूतपूर्व विनियामक, अथवा व्यवसायी, अथवा भूतपूर्व प्रशासक श्रेणी)	सदस्य (पीएसबी और एफआई से संबंधित मामलों के संबंध में)
(ङ) सुश्री उषा सांगवान (भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, एलआईसी, जीवन बीमा में विशेषज्ञता सहित)	सदस्य (पीएसआई से संबंधित मामलों के संबंध में)
(च) श्री ए. वी. गिरिजा कुमार (भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गैर-जीवन बीमा में विशेषज्ञता सहित)	सदस्य (पीएसआई से संबंधित मामलों के संबंध में)
(छ) श्री सुजय बनर्जी [भूतपूर्व पूर्णकालिक सदस्य (वितरण), आईआरडीएआई, पुनर्बीमा अथवा बीमांकक विज्ञान में विशेषज्ञता सहित, भूतपूर्व विनियामक के रूप में अनुभव]	सदस्य (पीएसआई से संबंधित मामलों के संबंध में)

5. **उत्तरवर्ती अध्यक्ष और अंश-कालिक सदस्यों का नामांकन**— एफएसआईबी के उत्तरवर्ती अध्यक्ष और अंश-कालिक सदस्यों के नामांकन के लिए केन्द्रीय सरकार को एक सर्च कमेटी सिफारिश करेगी, जिसमें नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की तुलना में तिगुनी संख्या के नामों की सूची होगी।

5.1 पीएसबी और एफआई से संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले अध्यक्ष और अंश-कालिक सदस्यों को नामित करने के लिए, सर्च कमेटी में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः

(क) आरबीआई के गर्वनर;

(ख) वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रभारी सचिव;

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी सचिव (अथवा ऐसे अन्य सचिव जिन्हें मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित किया जा सकता है)।

5.2 पीएसआई से संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले अंश-कालिक सदस्यों को नामित करने के लिए, सर्च कमेटी में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः

(क) इरडाई के अध्यक्ष, और यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो इरडाई के सबसे वरिष्ठ पूर्ण-कालिक सदस्य;

(ख) वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रभारी सचिव;

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी सचिव (अथवा ऐसे अन्य सचिव को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित किया जा सकता है)।

5.3 सर्च कमेटी प्रत्येक नामिती की विषय-विशेषज्ञता को निर्दिष्ट करेगी तथा वांछित विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों का सुझाव सरकार को देगी।

6. **सदस्यों में हितों का टकराव न हो—** हितों के टकराव को रोकने के लिए अंश-कालिक सदस्यों या तो सेवानिवृत्त होंगे अथवा यदि कार्यरत हैं, तो उन्हें कार्य छोड़ना अपेक्षित होगा। इसके अलावा, ऐसे सदस्यों का किसी वाणिज्यिक ईकाई, जो किसी पीएसबी अथवा एफआई अथवा पीएसआई के साथ वाणिज्यिक संबंध रखता हो, के साथ वाणिज्यिक संबंध नहीं होना चाहिए और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार संबंधित विनियामक से परामर्श कर सकती है।

7. **बैठक शुल्क—** अध्यक्ष और अंश-कालिक सदस्यों को प्रति बैठक 50,000 रूपए शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

8. **प्रबंधन—** एफएसआईबी अपने कार्यों में स्वायत्त होने के साथ पेशेवर ईकाई होगा और उसका अपना सचिवालय होगा। यह अपने सचिवालय के पूर्ण-कालिक सचिव के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई में मुख्य महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक के रैंक वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है अथवा आरबीआई से प्रतिनियुक्ति पर ले सकता है। इसके सचिवालय का कार्यालय आरबीआई से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुम्बई में अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान में होगा। एफएसआईबी के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, अनुदेशन और प्रबंधन की शक्तियां सचिव में निहित होगी, जो सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सभी कार्यों तथा प्रयोजनों को करता है, जो इस संकल्प के अनुसार और एफएसआईबी के अध्यक्ष और सदस्यों के निर्देशन के तहत एफएसआईबी द्वारा नियंत्रित अथवा पूरा किया जा सकता है। एफएसआईबी अपने सचिवालय की संरचना के संबंध में आरबीआई से परामर्श ले सकता है।

9. **वित्तपोषण** – प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एफएसआईबी के व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवा संस्थाओं (नामत:), पीएसबी, एफआई तथा पीएसआई की तीनों श्रेणियों की प्रत्येक श्रेणी द्वारा निधियों के अंशदान की गणना वित्तीय वर्ष के आरंभ में डब्ल्यूटीडी तथा एनईसी की उनकी संबंधित रिक्तियों की कुल संख्या के अनुपात में की जाएगी। समस्त पीएसबी अथवा एफआई के लिए कुल अंशदान में वैयक्तिक पीएसबी अथवा एफआई के अंशदान, जो भी मामला हो, की गणना वित्तीय वर्ष के लिए समस्त पीएसबी अथवा एफआई की कुल आय की तुलना वैयक्तिक पीएसबी अथवा एफआई की कुल आय, जो भी मामला हो, के अनुपात में की जाएगी। इसके अतिरिक्त समस्त पीएसआई के लिए कुल अंशदान में वैयक्तिक पीएसआई के अंशदान की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान समस्त पीएसआई की तुलना में वैयक्तिक पीएसआई द्वारा अर्जित कुल निवल प्रीमियम की तुलना में इसकी अर्जित निवल प्रीमियम के अनुपात में की जाएगी।

9.1 एफएसआईबी एक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी समस्त निधियन आवश्यकता का आकलन करेगा तथा इसे पूर्वोक्त पद्धति से पीएसबी, एफआई तथा पीएसआई में संविभाजित करेगा तथा पीएसबी के संबंध में एसबीआई को, एफआई के संबंध में नाबार्ड को तथा पीएसआई के संबंध में एलआईसी को संविभाजित आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा। एसबीआई, नाबार्ड तथा एलआईसी क्रमश: पीएसबी, एफआई तथा पीएसआई द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की निधि के अग्रिम को जमा करेंगे तथा वैयक्तिक पीएसबी, एफआई तथा पीएसआई जो भी मामला हो, से अंशदान को एकत्रित करेंगे।

10. अनुशंसा करने की प्रक्रिया – एफएसआईबी, डब्ल्यूटीडी तथा एनईसी के रूप में नियुक्ति हेतु उच्चतर क्षमतावान व्यक्तियों की खोज तथा अनुशंसा हेतु उपयुक्त प्रक्रिया को विकसित करेगा। उक्त प्रक्रिया विकसित होने तक बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) द्वारा अब तक अपनाई जा रही प्रक्रिया लागू होगी और डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्ति के संबंध में व्यक्तियों की अनुशंसा के प्रयोजनार्थ, एफएसआईबी पूर्व में बीबीबी द्वारा उठाये गये कदमों पर भी विचार कर सकता है।

10.1 जबकि एफएसआईबी द्वारा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/बातचीत के लिए बुलाया जाता है, तब डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने की वर्तमान प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए तीन पृथक साक्षात्कार/बातचीत की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। पीएसबी तथा एफआई में डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के साक्षात्कार/बातचीत के संबंध में साक्षात्कार/बातचीत हेतु तीनों पैनलों के प्रत्येक पैनल में पैराग्राफ 3 के खंड (ख), (ग) तथा

(ड.) में सूचीबद्ध सदस्यों में से एक पदेन सदस्य तथा पीएसआई से संबंधित विशेषज्ञता के अध्ययधीन अंशकालिक सदस्यों में एक अंशकालिक सदस्य होंगे जिन्हें पीएसबी और एफआई के विषय के जानकार होंगे। पीएसआई में डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के साक्षात्कार/बातचीत के संबंध में साक्षात्कार/बातचीत के लिए तीनों पैनलों में पैरा 3 के खंड (ख), (ग) और (घ) में सूचीबद्ध सदस्यों में से एक पदेन सदस्य होंगे और पीएसआई के विषय की जानकारी रखने वाले अंशकालिक सदस्यों में से एक अंशकालिक सदस्य होंगे।

10.1.1 यदि पैराग्राफ 3 के खंड(ख) अथवा खंड (ग) में संदर्भित कोई पदेन सदस्य यदि उपलब्ध न हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी सचिव अथवा व्यय विभाग के प्रभारी सचिव को पैनल में सह-योजित किया जा सकता है।

10.1.2 यदि पदेन अथवा अंशकालिक सदस्यों में से एक से अधिक सदस्य अनुपलब्ध हो, तो अध्यक्ष को पैनल में रखा जा सकता है।

10.2 एफएसआईबी, अनुशंसाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात उक्त को विचारार्थ अथवा सतर्कता निकासी प्राप्त करने अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट निकायों अथवा एजेंसियों से अनुशंसित अभ्यर्थियों के विरूद्ध जारी /प्रस्तावित जांच अथवा अन्वेषण अथवा कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने तथा नियुक्ति हेतु उक्त व्यक्ति की उपयुक्तता पर निर्णय लेने हेतु अग्रेषित करेगा।

10.3 एफएसआईबी केवल पीएसबी तथा एफआई से संबंधित किसी मामले के संबंध में अपने दायित्वों के निर्वहन में केवल पैराग्राफ 3 के खंड (क), (ख), (ग), (ड.) तथा (च) में संदर्भित सदस्यों का सहयोग प्राप्त करेगा।

10.4 एफएसआईबी केवल पीएसआई से संबंधित किसी मामले के संबंध में अपने दायित्वो के निर्वहन में केवल पैराग्राफ 3 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (छ) में संदर्भित सदस्यों का सहयोग प्राप्त करेगा।

11. विविध -- इस संकल्प को प्रकाशित किए जाने पर तथा उस तारीख से

(क) बैंक बोर्ड ब्यूरो की सभी आस्तियों, हित तथा दायित्व एफएसआईबी को अंतरित माना जाएगा।

(ख) बैंक बोर्ड ब्यूरो के सभी लेखा खाते, रजिस्टर्ड, अभिलेख और अन्य सभी दस्तावेज एफएसआईबी को अंतरित माना जाएगा।

(ग) किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण में बैंक बोर्ड ब्यूरो के विरुद्ध लंबित कोई वाद हेतु, मुकदमा, अदालती आदेश, अपील या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में कार्रवाई एफएसआईबी द्वारा अथवा उनके विरुद्ध की जाएगी।

नोट : इस संकल्प के प्रयोजनों के लिए,--

(1) "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा गठित प्रत्येक संबंधित नए बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अभिप्रेत तथा अंतर्विष्ट होंगे;

(2) "सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता" में जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत गठित भारतीय साधारण बीमा निगम, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (क) में परिभाषित प्रत्येक अधिग्रहण करने वाली कंपनी और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत तथा अंतर्विष्ट होंगे;

(3) "वित्तीय संस्था" में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 द्वारा स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 द्वारा स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित एक्ज़िम बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और कोई अन्य ऋण देने वाली संस्था जिसके संबंध में सरकार यह अधिसूचित कर सकती है कि एफएसआईबी ऐसे कार्य करेगा जो उसमें निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, अभिप्रेत तथा अंतर्विष्ट होंगे।

(4) बैंक बोर्ड ब्यूरो का अर्थ संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2022 के द्वारा उक्त पैरा का लोप किए जाने के तत्काल पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 7क और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 7क के अंतर्गत स्थापित बैंक बोर्ड ब्यूरो है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित को प्रेषित किया जाए।

[फा. सं. 14/1/2022 बीओ.I]

समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st July, 2022

F. No. 14/1/2022-BO-I.—Financial services institutions play a vital role in the development of the national economy. The Central Government has decided to hereby constitute a Financial Services Institutions Bureau (FSIB) for the purpose of recommending persons for appointment as whole-time directors and non-executive chairpersons on the Boards of financial services institutions and for advising on certain other matters relating to personnel management in these institutions. The policy relating to its functions and composition, nomination of its members, and its management, funding and methodology is set out below.

2. **Functions.—**The functions of FSIB shall be as follows, namely:—

(a) To recommend persons for appointment as whole-time directors (WTDs) and non-executive chairpersons (NECs) on the Boards of Directors in Public Sector Banks, financial institutions and Public Sector Insurers (hereinafter referred to as “PSBs”, “FIs” and “PSIs” respectively);

(b) To advise the Government on matters relating to appointments, transfer or extension of term of office and termination of services of the said directors;

(c) To advise the Government on the desired management structure at the Board level for PSBs, FIs and PSIs;

(d) To advise the Government on a suitable performance appraisal system for WTDs and NECs in PSBs, FIs and PSIs;

(e) To build a databank containing data related to the performance of PSBs, FIs and PSIs;

(f) To advise the Government on formulation and enforcement of a code of conduct and ethics for whole-time directors in PSBs, FIs and PSIs;

(g) To advise the Government on evolving suitable training and development programmes for management personnel in PSBs, FIs and PSIs;

(h) To help PSBs, FIs and PSIs in terms of developing business strategies and capital raising plan etc.;

(i) To carry out such process and draw up a panel for consideration of competent authority for any other bank, financial institution or insurer for which the Government makes a reference, after consultation with the regulator concerned with that bank, financial institution or insurer.

3. **Composition of FSIB.—**The composition of FSIB shall be as follows, namely:—

(a)	The Chairperson of FSIB, to be nominated by the Central Government, who shall be a retired official from the banking sector or a regulatory institution, or a business person of repute with sufficient knowledge of the financial sector, or a person with at least 25 years of experience in public administration with experience in banking and the financial sector;	Chairperson (part-time)
(b)	The Secretary in charge of the Department of Financial Services;	Member (*ex officio*)
(c)	The Secretary in charge of the Department of Public Enterprises;	Member (*ex officio*)
(d)	The Chairperson of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), and if the office of Chairperson is vacant, the senior-most whole-time member of IRDAI;	Member (*ex officio*)
(e)	A Deputy Governor of Reserve Bank of India (RBI);	Member (*ex officio*)
(f)	Three persons with subject matter knowledge relating to PSBs and FIs, to be nominated by the Central Government, of whom— (i) at least two shall be ex-bankers from the public or private sector; and (ii) one may be an academician, or a former regulator, or a businessperson, or a former administrator, and has experience in business management, information technology, human resource management, finance or accounting;	Member (part-time, non-government)
(g)	Three persons with subject matter knowledge relating to PSIs, to be nominated by the Central Government, of whom— (i) at least two shall be either formerly from the public sector or experts in insurance sector, with specialisation in life insurance, non-life insurance, reinsurance or actuarial science; and (ii) one may be an academician, or a former regulator, or a businessperson, or a former administrator, and has experience in business management, information technology, human resource management, finance or accounting.	Member (part-time, non-government)

3.1 FSIB shall be competent to carry out its functions regardless of any vacancy in its composition.

4. **Initial Chairperson and part-time members.—**The following persons shall be the initial Chairperson and the initial part-time, non-government members of FSIB, from the date of assumption of office till a period of two years from the date of notification of this Resolution, or until further orders of the Central Government, whichever is earlier, namely:—

(a)	Shri Bhanu Pratap Sharma (former Secretary, Department of Personnel and Training)	Chairperson
(b)	Shri Animesh Chauhan (former Chairman & Managing Director, Oriental Bank of Commerce) (Ex banker from Public Sector category)	Member (in respect of matters relating to PSBs and FIs)
(c)	Shri Shailendra Bhandari (former MD & CEO of ING Vysya Bank, Centurion Bank of Punjab and ICICI Asset Management Company)(Ex banker from Private Sector category)	Member (in respect of matters relating to PSBs and FIs)

(d)	Shri Deepak Singhal (former ED, RBI in-charge of departments of corporate strategy and budget, corporate services and human resource) Academician, or a former regulator, or a businessperson, or a former administrator category)	Member (in respect of matters relating to PSBs and FIs)
(e)	Ms Usha Sangwan (former Managing Director, LIC; with specialisation in life insurance)	Member (in respect of matters relating to PSIs)
(f)	Shri A. V. Girija Kumar (former Chairman and Managing Director, Oriental Insurance Company Limited; with specialisation in non-life insurance)	Member (in respect of matters relating to PSIs)
(g)	Shri Sujay Banarji {former Whole-Time Member (Distribution), IRDAI; with specialisation in reinsurance or actuarial science or experience as former regulator}	Member (in respect of matters relating to PSIs)

5. **Nomination of subsequent Chairperson and part-time members.—**For nomination of the subsequent Chairperson and part-time members of FSIB, a search committee shall recommend to the Central Government a panel of names numbering thrice the number of persons to be nominated.

5.1 For the nomination of the Chairperson and part-time members with subject matter knowledge relating to PSBs and FIs, the search committee shall consist of the following:

(a) The Governor of RBI;

(b) The Secretary in charge of the Department of Financial Services;

(c) The Secretary in charge of the Department of Personnel and Training (or such other Secretary as may be approved for this purpose by the Appointments Committee of the Cabinet).

5.2 For the nomination of the part-time members with subject matter knowledge relating to PSIs, the search committee shall consist of the following:

(a) The Chairperson of IRDAI, and if the office of the Chairperson is vacant, the senior-most whole-time member of IRDAI;

(b) The Secretary in charge of the Department of Financial Services;

(c) The Secretary in charge of the Department of Personnel and Training (or such other Secretary as may be approved for this purpose by the Appointments Committee of the Cabinet).

5.3 The Search Committee shall specify the core expertise of each nominee, as well as suggest a desired mix to the Government.

6. **Members to not have conflict of interest.—**To avoid conflict of interest, the part-time members shall be either retired or, if working, be required to discontinue work. Further, such members shall have no commercial relationship with any commercial entity that has commercial relationship with any PSB or FI or PSI, and the Central Government may consult the regulator concerned in this regard.

7. **Sitting fee.—**A fee of Rs. 50,000 per sitting shall be payable to the Chairperson and part-time members.

8. **Management.—**FSIB shall be a professional body with autonomy in its affairs and shall have its own secretariat. It may appoint a person, or take on deputation from RBI a person in the rank of Chief General Manager or General Manager in RBI, to act as full-time Secretary of its secretariat. The secretariat shall have its office in Mumbai or such other place as the Central Government may, in consultation with RBI, decide. The general superintendence, direction and management of the affairs of FSIB shall vest in the Secretary, who may exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by FSIB in accordance with this Resolution and under the guidance of the Chairperson and members of FSIB. FSIB may consult RBI with regard to its secretarial structure.

9. **Funding.—**For each financial year, the funds to be contributed by each of the three categories of financial service institutions (namely, PSBs, FIs and PSIs) towards meeting expenditure by FSIB shall be reckoned in proportion to the total number of their respective vacancies of WTDs and NECs at the beginning of the financial year. The contribution of an individual PSB or FI in the total contribution as reckoned for all PSBs or FIs, as the case may be, shall be in the ratio of the total income of the individual

PSB or FI to the total income of all PSBs or FIs, as the case may be, for the financial year. Further, the contribution of an individual PSI in the total contribution as reckoned for all PSIs shall be in the ratio of its net premium earned to the total net premium earned by the individual PSI to all PSIs for the financial year.

9.1 FSIB shall assess its total fund requirement for a particular financial year and apportion it among PSBs, FIs and PSIs in the aforesaid manner and intimate the apportioned requirement to SBI in respect of PSBs, NABARD in respect of FIs, and LIC in respect of PSIs. SBI, NABARD and LIC shall remit upfront the funds to be contributed by PSBs, FIs and PSIs respectively, and collect the contributions of individual PSBs, FIs and PSIs, as the case may be.

10. **Methodology for making recommendations.—**FSIB shall develop an appropriate methodology to search and recommend high-calibre persons for appointment as WTDs and NECs. Till the time such methodology is developed, the methodology followed hitherto by the Banks Board Bureau (BBB) constituted *vide* Ministry of Finance, Department of Financial Services notifications number S.O. 1215(E) and S.O. 1216(E), both dated the 23rd March, 2016 shall apply. For the purpose of recommending persons in connection with appointment as WTDs, FSIB may also take into consideration any steps taken earlier by BBB.

10.1 Where FSIB calls candidates for interview/interaction, a process of three separate interview/interactions for each candidate shall be followed as part of the existing methodology for making recommendations for appointment as WTDs. In respect of interview/interaction of candidates for appointment as WTDs in PSBs and FIs, each of the three panels for interview/interaction shall consist of one *ex officio* member from among the members listed in clauses (b), (c) and (e) of paragraph 3 and one part-time member from among the part-time members with subject matter knowledge related to PSBs and FIs. In respect of interview/interaction of candidates for appointment as WTDs in PSIs, each of the three panels for interview/interaction shall consist of one *ex officio* member from among the members listed in clauses (b), (c) and (d) of paragraph 3 and one part-time member from among the part-time members with subject matter knowledge related to PSIs.

10.1.1 If any of the *ex officio* members referred to in clause (b) or clause (c) of paragraph 3 is unavailable, either the Secretary in charge of the Department of Personnel and Training or the Secretary in charge of the Department of Expenditure may be co-opted on a panel.

10.1.2 If one more member from amongst the *ex officio* or part-time members is unavailable, the Chairperson may be part of a panel.

10.2 The FSIB shall, after finalising its recommendations, forward the same to the appropriate authority for undertaking consultation with or obtaining vigilance clearance or reports regarding ongoing/contemplated inquiry or investigation or proceeding, if any, against the recommended person from such bodies or agencies as the Central Government may determine, and for deciding on the suitability of that person for appointment.

10.3 The FSIB, in discharge of its functions relating to any matter that concerns only PSBs and FIs, shall associate only the members referred to in clauses (a), (b), (c), (e) and (f) of paragraph 3.

10.4 The FSIB, in discharge of its functions relating to any matter that concerns only PSIs, shall associate only the members referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (g) of paragraph 3.

11. **Miscellaneous.—** On and from the date of publication of this Resolution,—

(a) all assets, interests and liabilities of the Banks Board Bureau shall stand transferred to FSIB;

(b) all books of accounts, registers, records and all other documents of the Banks Board Bureau shall stand transferred to FSIB;

(c) any cause of action, suit, decree, appeal or other proceeding pending by or against Banks Board Bureau before any court or other authority may be continued and enforced by or against FSIB.

Note: For the purposes of this Resolution,—

(1) "public sector bank" shall mean and include the State Bank of India (SBI) constituted by the State Bank of India Act, 1955, every corresponding new bank constituted by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and any other bank in respect of which the Government may notify that FSIB shall perform such functions as may be specified therein;

(2) "public sector insurer" shall mean and include the Life Insurance Corporation of India (LIC) established by the Life Insurance Corporation Act, 1956, the General Insurance Corporation of India formed under section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972, every acquiring company as defined in clause (a) of section 3 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and Agriculture Insurance Company of India Limited;

(3) "financial institution" shall mean and include the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) established by the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981, Small Industries Development Bank of India established by the Small Industries Development Bank of India Act, 1989, the National Housing Bank established by the National Housing Bank Act, 1987, Exim Bank as defined in clause (c) of section 2 of the Export-Import Bank of India Act, 1981, IFCI Limited, India Infrastructure Finance Company Limited and any other lending institution in respect of which the Government may notify that FSIB shall perform such functions as may be specified therein;

(4) "Banks Board Bureau" shall mean the Banks Board Bureau established under paragraph 7A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and paragraph 7A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 immediately before omission of the said paragraphs by the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2022.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the public sector banks, financial institutions and public sector insurers concerned, Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India and others concerned.

[F. No. 14/1/2022-BO-I]

SAMEER SHUKLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.